

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3081

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 10, 2014/ ज्येष्ठ 20, 1936

No. 308]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 10, 2014/JYAISTHA 20, 1936

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 9 जून, 2014

सा.का.नि. 392(अ).—सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियमावली, 2004 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों को वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (संशोधन) नियमावली, 2014 कहा जाए।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियमावली, 2004 में नियम 8 के उप-नियम 3 के पश्चात, निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाए, अर्थात:—

"बशर्ते कि संयुक्त खाते के मामले में, अथवा जहां पति/पत्नी एकमात्र नामित व्यक्ति हों, पति/पत्नी इन नियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट इन नियमों के अंतर्गत उन्हीं शर्तों पर खाते को जारी रख सकता/सकती है:

इसके अलावा, यदि पित/पत्नी संयुक्त खाते को जारी नहीं रखता/रखती, इस खाते को फार्म-एफ में आवेदन करने पर बंद कर दिया जाएगा और उपर्युक्त ब्याज सहित जमा राशि को वापस कर दिया जाएगा।"

[फा. सं. 4/2/2012-एनएस-II]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

नोट: वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियमावली, 2004, भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 2 अगस्त, 2004 को अधिसूचना सं. सा.का.नि. 490(अ) और तदुपरांत दिनांक 27 अक्टूबर, 2004 को सा.का.नि. 706(अ), दिनांक 23 मार्च, 2006 को सा.का.नि. 176(अ), दिनांक 24 मई, 2007 को सा.का.नि. 390(अ), दिनांक 28 जुलाई, 2010 को सा.का.नि. 639(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2011 को सा.का.नि. 770(अ), दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को सा.का.नि. 321(अ), दिनांक 25 जून, 2013 को सा.का.नि. 402(अ), और दिनांक 13 मार्च, 2014 को सा.का.नि. 224(अ) द्वारा प्रकाशित हुई थीं।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2014

G.S.R. 392(E). — In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Senior Citizen Savings Scheme (Amendment) Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In Senior Citizen Savings Scheme Rules, 2004, after sub-rule 3 of rule 8, following shall be inserted, namely:—

"Provided that in the case of a joint account, or where the spouse is the sole nominee, the spouse may continue the account on the same terms and conditions as specified under these rules:

Provided further that in case the spouse does not continue the joint account, the account shall be closed on an application in Form-F and the deposit refunded along with interest as above".

[F. No. 4/2/2012/NS-II]

RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note: The Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004 were published in the Gazette of India (Extraordinary) vide notification number G.S.R. 490(E), dated the 2nd August, 2004 and subsequently amended vide G.S.R. 706(E), dated the 27th October, 2004, G.S.R. 176(E), dated the 23rd March, 2006, G.S.R. 390(E), dated the 24th May, 2007, G.S.R. 639(E), dated the 28th July, 2010, G.S.R. 770(E), dated the 19th October, 2011, G.S.R. 321(E) dated the 25th April, 2012, G.S.R. 402(E), dated the 25th June, 2013 and G.S.R.224(E) dated the 13th March, 2014.